न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
88/2015/प्रा.पत्र/2015	06.10.2015	23.09.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार नागर पुत्र श्री शिवजी राम नागर एफ.बी.ओ. मैसर्स नागर किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज. निवासी लक्ष्मीपुरा तह. उनियारा जिला टोंक
2–मैसर्स नागर किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक
3–श्री रामगोपाल पुत्र श्री भंवर लाल नॉमिनी मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी ई–9, कृषि उपज मण्डी निवाई निवासी शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.
4–मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी ई–9, कृषि उपज मण्डी निवाई जिला टोंक

.....अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 23.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.05.2015 को समय 11:59 एएम पर मैसर्स नागर किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री विनोद कुमार नागर पुत्र श्री शिवजी राम नागर मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार नागर ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया जिसकी वैद्यता अवधि समाप्त हो चुकी थी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान व गोदाम में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में **चाय तमोलिया पॉली पैक (Tea Tamoliya poly pack)** 500–500 ग्राम के 50 नग पोली पैक रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विनोद कुमार नागर को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री विनोद कुमार नागर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **चाय तमोलिया पॉली पैक (Tea Tamoliya poly pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय तमोलिया पॉली पैक (Tea Tamoliya poly pack)** के 500–500 ग्राम के अलग–अलग चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–989 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–989 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री विनोद कुमार नागर मैसर्स नागर किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी ई–9, कृषि उपज मण्डी निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त पदार्थ चाय क्रय करना बताया। वारंटी व निर्माता होने के कारण मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी निवाई जिला टोंक को फार्म नं. 5 ए की सूचना भिजवायी गयी व फर्म के नॉमिनी के दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया लेकिन कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी निवाई जिला टोंक द्वारा बार–बार पत्र व्यवहार करने पर भी कोई प्रतिउत्तर नहीं देने के कारण अभिहित अधिकारी टोंक द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी टोंक को पत्र प्रेषित कर उक्त फर्म के नॉमिनी के नाम व पता चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी निवाई जिला टोंक के प्रोपरायटर के नाम व पते प्राप्त हुए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2638 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./378/एफ.एस.एस.ए./2015/395 दिनांक 03.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **चाय तमोलिया पॉली पैक (Tea Tamoliya poly pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से दिनांक 27.11.2015 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। दिनांक 18.08.2022 को जवाब पेश किया एवं दिनांक 23.08.2022 को अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जुर्म स्वीकार किया एवं अप्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय तमोलिया पॉली पैक (Tea Tamoliya poly pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगणों को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब तथा अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चाय तमोलिया पॉली पैक (Tea Tamoliya poly pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 35,000/– (अक्षरे पैंतीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक